

संख्याक-01

गूल वाच में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
फतेह सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख साकिन दुदा खीचड़ तहसील सादुलशहर  
जिला श्रीगंगानगर राज.।

वादी

बनाम

- 1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह जाति जटसिख साकिन दुदा खीचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।
- 2 निन्दपाल कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह पत्नी श्री इकवाल सिंह जाति जटसिख साकिन सैलबरा तहसील रामपुराफूल जिला बठिण्डा, पंजाब।
- 3 किन्दपाल कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह पत्नी श्री सुलखन सिंह जाति जटसिख साकिन गिर्जेवाला त0 व जिला श्रीगंगानगर राज.।
- 4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वारसे इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मनोहरलाल सहारण वकील वादी मिन जाकिन मुद्दई श्री संदीप कुमार सोखल अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :-

चक 14 एस.डी.एस. के खाता सं. 20/22 में कुल खाता 7.590 है. में प्रतिवादी सं. 01 का 1/3 हिस्सा यानि 2.530 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तक कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

चक 15 एस.डी.एस. के खाता सं0 52/52 में कुल खाता 1.720 है. में प्रतिवादी सं. 01 के नाम 1/4 हिस्सा यानि 0.430 है. नहरी/बाराणी आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तक कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

चक 16 एस.डी.एस. के खाता सं0 44 में कुल खाता 3.795 है. में प्रतिवादी सं. 01 के नाम 76/759 हिस्सा यानि 0.380 है. नहरी/बाराणी आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तक कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।  
बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.9.2020 को जारी किया गया।



*(Signature)*  
14.9.2020  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर